अध्याय II : रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

भेषजीय विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अप्रयुक्त राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली - ₹5.78 करोड़

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) ने सभागार के निर्माण हेतु भेषजीय विभाग (भे.वि.) द्वारा जारी (2009-10) ₹ 4.22 करोड़ की निधियों को विभाग के विनिर्दिष्ट निर्देशों के उल्लंघन में बैंक में रखा। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर राशि को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा ब्याज सहित वापस किया गया था।(मार्च 2014)

भेषजीय विभाग (भे.वि.), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय नें ग्यारहवीं योजना (2007-2012) के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) मोहाली की अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु, ₹69 करोड़ के कुल योजनागत परिव्यय को स्वीकृत किया था (दिसम्बर 2007)।

रा.भे.शि.अ.सं., मोहाली में 1500 सीटों वाले सभागार के निर्माण हेतु 2009-10 के दौरान ₹5.50 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया था जिसके प्रति ₹4.22 करोड़ की राशि जारी की गई थी। भे.वि. ने अपने पत्र (सितम्बर 2010) में स्पष्ट रूप से बताया था कि जारी निधियॉ बैंकों में रखे जाने के लिए नहीं थीं। तथापि, रा.भे.शि.अ.सं. की वित्त समिति तथा शासी बोर्ड ने सभागार के निर्माण को स्थगित किया तथा राशि को बैंक में सावधि जमा में रखा गया था, जिसकी किसी अन्य योजना में इसके उपयोग हेतु भे.वि. से स्वीकृति लम्बित है। इससे प्राप्त ब्याज को रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा अपनी स्थायी निधि/कार्यरत निधि को अंतरित किया गया था।

जून 2013 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर भे.वि. ने रा.भे.शि.अ.सं. से अप्रयुक्त निधियों को वसूला तथा सुनिश्चित किया (मार्च 2014) कि

रा.भे.शि.अ.सं. मोहली ने ₹5.78 करोड़ (₹1.56 करोड़ के ब्याज सहित ₹4.22 करोड़) की अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण किया था।

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान-मोहाली

2.2 निर्माण की तिथि से ही खाली पड़े आवासीय मकानों पर ₹2.49 करोड़ का व्यर्थ निवेश

रा.भे.शि.अ.सं. द्वारा वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किए बिना 2009 में टाईप-IV तथा टाईप-V आवासीय मकानों का निर्माण ₹2.49 करोड़ के व्यर्थ निवेश का कारण बना।

राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (रा.भे.शि.अ.सं.) भेषजीय विज्ञान में उन्नत अध्ययन तथा अनुसंधान हेतु एक उत्कर्ष केन्द्र बनने के उदघोषित उद्देश्य के साथ, भेषजीय विज्ञान में एक राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान है। रा.भे.शि.अ.सं. में अच्छा शैक्षिक स्टाफ आकर्षित करने के लिए, भारत सरकार ने संकाय हेतु, 100 प्रतिशत संतोष स्तर पर, (टाईप-V अथवा ऊपर) तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर (टाईप-IV अथवा नीचे) के मकानों के निर्माण हेतु स्वीकृति (अक्तूबर 1997) प्रदान की।

रा.भे.शि.अ.सं; ने 2006 में 15 टाईप-V आवासीय मकानों का निर्माण किया जो निर्माण समय से ही खाली रहे। आबंटन हेतु कोई आवेदन लंबित नहीं था तथा आवंटन हेतु उपलब्ध फालतू मकानों के बावजूद, रा.भे.शि.अ.सं. ने ₹99 लाख की लागत पर पांच अतिरिक्त टाईप-V मकानों तथा ₹1.50 करोड़ की लागत पर 12 टाईप-IV मकानों के निर्माण हेतु संविदा प्रदान की (जनवरी 2009)। इन आवासीय इकाईयों का निर्माण मार्च 2010 में समाप्त हुआ मई 2010 में अधिकार लिया गया था।

अतिरिक्त टाईप-IV/टाईप-V आवासीय इकाईयों के निर्माण हेतु कार्य सौंपने के समय 37 मकानों की उपलब्धता के प्रति टाईप-V हेतु पात्र अधिकारियों की वास्तविक संख्या 23 थी। इसी प्रकार, 18 मकानों की उपलब्धता के प्रति टाईप-IV हेतु पात्र अधिकारियों की वर्तमान संख्या 14 थी। वास्तविक अधिभोग टाईप-V हेतु 21 तथा टाईप-IV हेतु 12 था। इसके अतिरिक्त, 2009 में नई श्रमशक्ति की नियुक्ति का

कोई प्रस्ताव नहीं था जिसके लिए 2009 में टाईप-IV अथवा टाईप-V मकानों की आवश्यकता होगी। वास्तविक कार्यरत संख्या तथा खाली मकानों पर विचार करते हुए अतिरिक्त आवासीय मकानों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2014) कि मकानों के निर्माण हेतु आवश्यकता का निर्धारण भारत सरकार के आदेश दिनांक 10 जनवरी 1995 के आधार पर किया गया था, जिसके आधार पर संकाय हेतु 100 प्रतिशत संतोष स्तर तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर मकानों का निर्माण करने को स्वीकृति प्रदान की गई थी। 51 टाईप-V मकानों की कुल आवश्यकता के प्रति अब तक 42 मकानों का निर्माण किया गया है जिसके प्रति 17 मकानों को अधिकृत किया गया है। टाईप-IV के संबंध में, 48 कर्मचारियों की कुल संस्वीकृति संख्या के प्रति 30 मकानों का निर्माण किया गया है। इन 30 मकानों में से, 14 मकानों को स्टाफ द्वारा तथा पांच को महिला छात्रावास की कमी को देखते हुए, अस्थायी प्रबंधन के रूप में छात्राओं द्वारा अधिकृत किया गया था। इसके अतिरक्त, संकाय तथा अन्य पदों को भरना प्रक्रिया में है तथा खाली मकानों के अधिकृत किए जाने की संभावना है।

मंत्रालय के उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति पुन: विचार किए जाने की आवश्यकता है:

- सरकारी स्वीकृति संकाय हेतु 100 प्रतिशत संतोष स्तर तथा अन्य स्टाफ हेतु 60 प्रतिशत संतोष स्तर पर, मकान प्रदान करने के लिए है। मंत्रालय के उत्तर में, टाईप-IV तथा टाईप-V मकानों हेतु पात्र स्टाफ की संस्वीकृत संख्या के आधार पर 51 टाईप-V तथा 48 टाईप-IV मकानों की आवश्यकता का परिकलन किया गया है, जबकि 2002-03 से 2012-13 की अवधि के दौरान इन मकानों हेतु पात्र वास्तविक कार्यरत संख्या टाईप-V मकानों के मामलों में 19 से 27 (संस्वीकृत संख्या के 37 से 53 प्रतिशत) तथा टाईप-IV मकानों के मामले में 13 से 22 (संस्वीकृत संख्या के 27 से 46 प्रतिशत) तक परिवर्तित थी।

- अतिरिक्त टाईप-IV तथा टाईप-V आवासीय मकानों के निर्माण हेतु संविदा (जनवरी 2009) को सौंपने के समय छ: टाईप-IV मकान तथा 16 टाईप-V मकान पहले से खाली पड़े थे। 2009 में उपरोक्त मकानों के निर्माण के

पश्चात खाली पड़े मकानों की संख्या टाईप-IV हेतु 16[1] तथा टाईप-V हेतु 25 तक बढ़ी है।

- टाईप-IV तथा टाईप-V मकानों हेतु पात्र कार्यरत संख्या की पिछली प्रवृत्ति तथा खाली मकानों की उपलब्धता पर विचार करते हुए अतिरिक्त मकानों का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था।

- जहॉ तक नई नियुक्ति का संबंध था वहां निर्माण, यदि कोई हो, को विशेष रूप से चरण प्रकार में किया जा सकता है क्योंकि जैसे-तैसे 22 मकान खाली पड़े थे।

इस प्रकार वास्तविक आवश्यकता का उपयुक्त निर्धारण किए बिना ₹99 लाख की लागत पर पांच अधिक टाईप-V प्रकार मकानों तथा ₹1.50 करोड़ की लागत पर 12 टाईप-IV मकानों का निर्माण, करने के प्रबंधन के अविवेकी निर्णय का परिणाम, अतिरिक्त आवासीय मकानों जो बिना अधिकृत किए पड़े रहने में ₹2.49 करोड़ के, व्यर्थ निवेश में हुआ।

[1] छात्राओं द्वारा अस्थायी प्रबंधन के रूप में अधिकृत पांच मकानों को छोड़कर